



क्रमांक 529 / विद्योचित / 2015

भोपाल, दिनांक 23/6/2015

विज्ञापित

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा पूर्व से आयोजित की जा रही द्विवर्षीय पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा का नाम एन.सी.टी.ई. द्वारा अपने रेग्युलेशन 2014 में परिवर्तन कर डी.पी.एस.ई. अर्थात् विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा किया गया है। उक्त के अनुक्रम में मण्डल की कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक 18.06.2015 के बिन्दु क्र.-12 में लिये गये निर्णयानुसार मण्डल द्वारा पूर्व से संचालित द्विवर्षीय पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा का नाम सत्र 2015-16 से परिवर्तित कर "डी.पी.एस.ई. अर्थात् विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा" किया जाता है।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0,  
भोपाल,

पृष्ठांकन क्रमांक / विद्यो. / 2015

भोपाल, दिनांक ..... / / 2015

प्रतिलिपि -

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी. विंग, अरेरा हिल्स भोपाल।
4. अध्यक्ष/सचिव/अति. सचिव/परीक्षा नियंत्रक के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी/पंजीयक, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही विषयक।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त संभागीय/ऑचलिक कार्यालय, मा.शि.मण्डल, म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है कि संभाग अन्तर्गत संचालित समस्त संस्थाओं को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
8. परीक्षा समन्वय कक्ष/डी.एड.सेल/डाटा कक्ष की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. चीफ सिस्टम ऑफिसर, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर उक्त विज्ञापित वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. जन सम्पर्क अधिकारी, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन बावत्।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0,  
भोपाल,